



न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यु बोर्ड गवालियर केम्प उज्जैन म0 प्र0
P.B.R/ निगरानी/ रतलाम/ भू-रा/ 2017/1929

1

मांगीलाल पिता मानसिंहजी जाति गुर्जर
निवासी ग्राम दाहखेडा तहसील जावरा जिला रतलाम
म0 प्र0 — प्रार्थी

बनाम

1

तहसील जावरा जिला रतलाम म0 प्र0
हबीब पिता सरदारखाँ जाति मुसलमान उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम दाहखेडा तहसील जावरा जिला रतलाम
म0 प्र0 — प्रतिप्रार्थी

2

केम्प उज्जैन
पर धारा
3
21-6-17

रिवीजन धारा 50 म0 प्र0 भु0 रा0 सहिता 1959

रिवीजन बनाराजगी न्यायालय तहसील जावरा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 54अ12/15-16 दिनांक 30/12/2016 हबीबखाँ निवासी दाहखेडा तहसील जावरा जिला रतलाम से असतुष्ट होकर निम्नानुसार रिवीजन प्रस्तुत है !

मान्यार महोदय

प्रार्थी कि और से निम्नानुसार रिवीजन पेश है !

प्रार्थी अभिभूषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 15-6-17

एः इः प्रादृश

प्रकरण का सक्षिप्त तथ्य

अधीक्षक 15-6-17
आयुक्त कार्यालय
आचेन्द्रन प्रत्र राजस्व निरीक्षक को दिया जोकि प्रोसीडीग मे(प्रथम प्रोसीडीग) मे दिनांक अंकित नही है ! नह सीमांकन किये जाने

यह कि प्रतिप्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय मे सीमांकन का आवेदन आदेश सीमांकन प्रतिवेदन बनावटी रूप मे आवेदन आदेश सीमांकन प्रतिवेदन बनावटी रूप से प्रस्तुत किये गये तथा प्रार्थी व प्रडोसी कृषक को सुचना प्रत्र जारी नही किया गया नाही उनको तलब किया गया नाही प्रार्थी व पडोसी कृषक की उपस्थिती मे सीमांकन किया गया !

2 यह कि प्रतिप्रार्थी ने भुमी सर्वे कमांक 115, 133/2, 135/2 रकबा कमश: 2.77, 0.11, 0.20 कुल तीन सर्वे कमांक का सीमांकन आवेदन प्रत्र मे सीमांकन किये जाने का उल्लेख है !

निरतर /2/

मान्यार महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(१२)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1929
 प्रकरण क्रमांक - PBR (निरताम) २०१५/१०/२९ जिला - अमृतलाल

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक

३०.१०.१९

आवेदक की ओर से यह निगरानी १६/०१०३/१९८८ के प्रकरण क्रमांक ५४/अ-१२/१५-१६ में पारित आदेश दिनांक ३०/१२/१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलापात्र, अतलाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १५/१०/१९ को

१५/१०/१९, अतलाल के समक्ष उपस्थित हैं।

(महेश अनन्द चौधरी)

सदस्य